


# फर्द अहकाम

संहायक कलक्टर, कोटपूतली  
 बनाम  
 डॉ. मधुकाश  
 दिनांक : 6/2 / 20

दिनांक आह्रा या कार्यवाही	आह्रा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/8/20	<p>             वकील पार्सी (उपण) पार्सी वकील को अपार्सीकरण की तस्वी हेतु अनेक आवाह दिए गए, उससे बाद भी तस्वी नहीं कराई। दिनांक 31/8/20 को Registered तस्वी हेतु आदेश दिए जाने के बाद भी तस्वी पेश नहीं की गई। अतः प्रकरण तस्वी पेश करने के अभाव में अंततः 09/05/20 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली के फल शुमार हो, दर्ज मन्त्र से 5 म लाख लागू 9 लाख           </p>	

  
 सहायक कलक्टर  
 कोटपूतली (जयपुर)